# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 73/2025

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
| --- | --- | --- |
| 1 राणसिंह पुत्र रिडमलसिंह उर्फ अमरसिंह 2 किशन कंवर पत्नी मोतीसिंह 3 रणछोड़ सिंह 4 स्वरूपसिंह पिसरान मोतीसिंह जाति पुरोहित निवासी लंगेरा, पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 पांची कंवर पत्नी रिड़मलसिंह उर्फ अमरसिंह 2 अनोपसिंह पुत्र पूनमसिंह जाति पुरोहित निवासी लंगेरा, पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर। |

## राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री सुनिल के. मेराजा, वकील प्रार्थी पक्ष।
2 श्री धर्मसिंह भाटी, वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02।

## आदेश

दिनांक 11/11/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण के आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा लंगेरा में मूल खसरा संख्या 70 रकबा 64.12 बीघा रिडमलसिंह उर्फ अमरसिंह, अनोपसिंह पिसरान पूनमसिंह जाति पुरोहित निवासी लंगेरा के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित थी। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अपने विधिक हक व हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि में आपसी सहमति से दिनांक 08.06.2016 को बंटवाड़ा करवा दिया जिसका श्रीमान् तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक राजस्व/लो.अ./2016/1229–1231 दिनांक 06.06.2016 की पालना में हल्का पटवारी आटी द्वारा ग्राम लंगेरा के नामान्तकरण संख्या 721 दिनांक 08.06.2016 दायर कर बाद जांच पारित कर दिया, जिसका तरमीम अक्ष नामान्तकरण की पुश्त पर अंकित है। उक्त राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय भू नक्शा में तरमीम बंटवाड़े में दर्ज नामान्तकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम व कब्जा काश्त से भिन्न एवं गलत परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार दर्ज कर दी गई। उक्त बंटवाड़ा होने से मूल खसरा संख्या 70 तीन खसरों में विभाजित हो गया, जिसमे नवीन खसरा संख्या 873/70 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 875/70 रकबा 18.18 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा प्रार्थीगण के नाम तथा खसरा संख्या 874/70 रकबा 32.06 बीघा अप्रार्थी संख्या 02 अनोपसिंह पुत्र पूनमसिंह द्वारा अपने हिस्से में से 02.17 बी[illegible]का बेचान अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हुआ। पटवारी हल्का द्वारा ऑनलाईन [illegible] समय गलत अंकन कर दिये गये जिसके कारण मौके व ऑनलाईन [illegible] है जिसे प्रा[illegible] दुरूस्त करवा करवाना चाहते हैं ताकि काश्तकारों के बी[illegible] किसी प्रकार का विवा[illegible] नहीं हो। पक्षकारान उक्त बंटवाड़े के अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 70 की तरमीम गलत कर दी गई, जिसके कारण खातेदारान के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन हो गई। उक्त स्थिति के कारण मौके पर विवाद

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:46:20 IST
Reason: SelfAttested

रहता है। लिहाजा मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत नवीन खसरा संख्या 873/70 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 875/70 रकबा 18.18 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा तथा खसरा संख्या 874/70 रकबा 32.06 बीघा भूमि की ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए पूर्व में बंटावाड़ा अनुसार जमाबन्दी के पीछे अंकित अक्ष नक्शा लठ्ठा ट्रेस परिशिष्ठ "ब" में बरंग हरा अनुसार ऑनलाईन नक्शा दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी को आदेश फरमाया जावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तुत पत्रांक भूअ/2025/967 दिनांक 15.04.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत नवीन खसरा संख्या 873/70 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 875/70 रकबा 18.18 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा तथा खसरा संख्या 874/70 रकबा 32.06 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ जिसकी जमाबन्दी नकले व वर्तमान की स्थिति का नक्शा परिशिष्ठ 'अ' संलग्न प्रस्तुत है। राजस्व रेकर्ड में खातेदारी भूमि का रकबा व तरमीम बंटवाड़े आदेश के अनुसार सही है लेकिन मौके पर रिथति कब्जा काश्त लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में भिन्नता जिससे खातेदार की कब्जा काश्त व रहासी ढाणियां प्रभावित हो रही है। मौके पर स्थिति कब्जा काश्त रहवासी ढाणियां टांकों के आधार पर खातेदारी अनुसार बरंग दर्शाया जाकर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' तरमीम दुरूस्ती प्रस्तावित है। प्रभावित नक्शानुसार तरमीम दुरूस्त करने से खातेदारी रकबे व खसरा नम्बरों में किसी तरह का कोई प्रभाव नही पड़ेगा। प्रस्तावित नक्शा व मौके की कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम दुरूस्त कराने में सम्बन्धित सभी खातेदार पूर्णतया सहमत है। लिहाजा मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत नवीन खसरा संख्या 873/70 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 875/70 रकबा 18.18 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा तथा खसरा संख्या 874/70 रकबा 32.06 बीघा भूमि की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:46:20 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षों को तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सुना गया। उभय पक्षकारान ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी का खेत मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत नवीन खसरा संख्या 873/70 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 875/70 रकबा 18.18 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा तथा खसरा संख्या 874/70 रकबा 32.06 बीघा भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर के मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

अनुसार शुद्ध करने का आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड सर्वेशीट नकल, मोमी ट्रेस नकल तथा ऑनलाईन रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस नक्शा में अंकित नक्शा तरमीम के परीप्रेक्ष्य में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत नवीन खसरा संख्या 873/70 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 875/70 रकबा 18.18 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा तथा खसरा संख्या 874/70 रकबा 32.06 बीघा भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध की किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार बाडमेर ने भी अंकित किया है कि प्रभावित नक्शानुसार तरमीम दुरूस्त करने से खातेदारी रकबे व खसरा नम्बरों में किसी तरह का कोई प्रभाव नही पड़ेगा। प्रस्तावित नक्शा व मौके की कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम दुरूस्त कराने में सम्बन्धित सभी खातेदार पूर्णतया सहमत है।ऐसी स्थित में इस न्यायालय को धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख में लिपिकीय भूल सुधारने की जो शक्तियां है उसका प्रयोग करना, मैं उचित समझता हूं। लिहाजा प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत नवीन खसरा संख्या 873/70 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 875/70 रकबा 18.18 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा तथा खसरा संख्या 874/70 रकबा 32.06 बीघा भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लंगेरा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत नवीन खसरा संख्या 873/70 रकबा 13.18 बीघा, खसरा संख्या 875/70 रकबा 18.18 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा तथा खसरा संख्या 874/70 रकबा 32.06 बीघा भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुतमौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:46:20 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11/11/25 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर